

न्यायालय सहायक क्लर्क, वाप जिला जोधपुर
बड़जलारा पीठारीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण
1. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
2. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
3. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
4. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
5. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
6. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
7. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
8. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
9. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम
10. बलवन्ताराम पुत्र बलवन्ताराम

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राज. रास्कर जरिये तहसीलदार, वाप
2. उप पंजीयक, वाप जिला जोधपुर

बादा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बादा संख्या :- 110/2018

अधिवक्ता :-
1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 15-01-2020

बादा के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खरारा नम्बर 953/14 क्षेत्र 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील वाप में स्थित है। उक्त क्षेत्र में वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद के बाद से बहैसियत खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण के नाम से वादीगण के पिता बलवन्ताराम ने उपरोक्त वर्णित क्षेत्र खरीद कर दी है, जिस वैचाननामा में लिपिकिय त्रुटिवश वादी सं. 1 का नाम पूनमाराम, वादी सं. 2 का नाम जसूराम तथा वादी सं. 3 का नाम रमेशराम दर्ज हो गया तथा वैचानकर्ता का देहान्त हो जाने के कारण पत्र भी नहीं किया जा सकता है इसलिये वादीगण को वर्तमान राजस्व बादा के अलावा अन्य क्षेत्र अनुलोष नहीं होने से तथा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि हेतु यह बादा वास्ते रिकॉर्ड शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज चले आ रहे हैं जबकि वादी सं. 1 का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का सही एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 का सही एवं वास्तविक नाम उमेशराम है जो वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि में दर्ज है। वादीगण के कदग्रस्त भूमि पर के.सी.सी. उठाने हेतु बैंक गये तो बैंक के शाखा प्रबन्धक ने वादीगण को के. सी. सी. देने से मना कर दिया और कहा कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम गलत दर्ज है। इसलिये हम तुम्हें के. सी. सी. नहीं दे सकते हैं, तब वादीगण पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलती से पूनमाराम, जसूराम व रमेश कुमार दर्ज हो गया है तब वादीगण ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की प्रति लेकर प्रतिवादी के पास दिनांक 24/06/2018 को जाव रिकॉर्ड में दर्ज अपने गलत नाम को सही करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण

जब दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण ने दोहराते हुए कहा कि आप सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो। इसलिये उक्त वादी सं. 1 का नाम पूनाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का नाम जसुराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम जसुराज तथा वादी सं. 3 के नाम रमेशराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी

जब दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण ने दोहराते हुए कहा कि आप सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो। इसलिये उक्त वादी सं. 1 का नाम पूनाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का नाम जसुराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम जसुराज तथा वादी सं. 3 के नाम रमेशराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से खातेदारी की घोषणा किया जाना न्याय संगत होना बताया चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिरोध नहीं किया गया, इसलिये वाद में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण की ओर से वादी सं. 1 द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र पेश करके वादीगणों के वाद के साथ पेश किये गए दस्तावेज को प्रदर्श मार्क करवाये गये। वादीगण अपनी ओर से कोई साक्ष्य नहीं करवाना चाहते इसलिये साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाकर प्रती बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर क्षेत्र शेखासर तहसील वाप में स्थित है। वादीगण हर वर्ष कास्त कर प्राकृतिक पैदावार का प्रयोग करते आ रहे हैं। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, जसुराज व उमेश कुमार है लेकिन उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी हल्का द्वारा भूलवश गलती से वादी सं. 1 का नाम पूनाराम के स्थान पर पूनाराम, वादी सं. 2 का नाम जसुराज के स्थान पर जसुराम व वादी सं. 3 का नाम उमेश कुमार के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत है जो एक लिपिकिय एवं मानवीय भूल है। इसलिये वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील वाप के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज वादी सं. 1 के गलत नाम पूनाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के गलत नाम जसुराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम जसुराज तथा वादी सं. 3 के गलत नाम रमेशराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।


प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि माफिक इस्तदुआ गुणावगुण के आधार पर व वादी सं. 1 का गलत नाम पूनाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के गलत नाम पूनाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 के गलत नाम रमेशराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के अर्थों का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 वादीगण के नाम से बने पेन कार्ड, आधार कार्ड, भागशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा साक्ष्य शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी में वादी सं. 1 का नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का नाम जसूराम व वादी सं. 3 का नाम रमेश कुमार दर्ज है जबकि वादी सं. 1 का सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार है जो पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों से बखुबी प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वाद को जमाबंदी से साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के कसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वादी सं. 1 का गलत नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का गलत नाम जसूराम तथा वादी सं. 3 का गलत नाम रमेश कुमार को उरत किया जाकर वादी सं. 1 को उसके सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 को उसके सही एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 को उसके सही एवं वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो, शेष प्रविष्टिया यथावत रहे, पत्रावली फौसल शुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

